प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सालय के वार्ड ब्लाक/ओ0पी0डी0 ब्लाक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने, नये उपकरणों एवं भवन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-333/ई/रिम्सएण्डआर/2016-17 दिनांक 02 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सालय के वार्ड ब्लाक/ओ0पी0डी0 ब्लाक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने, नये उपकरणों एवं भवन के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 29,24,94,000/- (रूपया उन्तीस करोड चौबीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 09,66,37,000/- (रूपया नौ करोड छाछठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण एवं कार्य का प्रारम्भ किया जायेगा।
3) विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
4) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।
6) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
7) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम स्तर लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
9) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य रेनोवेशन, विद्युत उपकरणों के शिफिटिंग से संबंधित है। अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय दके स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय जिसकी देख-रेख में उक्त कार्य कराया जाय तथा रेनोवेशन एवं डिस्मेटलिंग के पश्चात प्राप्त मलवे की नीलामी से प्राप्त धनराशि सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराया जाय।
10) प्रायोजना प्रस्ताव में वियुत संबंधी नान शिड्यूल मद की लागत बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व इन कार्यमदों की लागत का विस्तृत आगणन तैयार किया जाय तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।
11) प्रायोजनान्तर्गत सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर का प्राविधान किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः विश्वविद्यालय निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12) प्रस्ताव का परीक्षण प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे कुर्सी क्षेत्रफल में वृद्धि, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा 03 माह के अन्दर समिति को पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व वि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

15) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1590/दस-2016, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 131/2016/4877(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, इटावा ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) कुलसचिव/वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
5) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना पब्रन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in